

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी निष्वाले ज्ञाना व भू अभिलेख निरीक्षक मि. अ. अ. अ. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम निष्वाले पटवार हल्का मि. अ. अ. अ. तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् २०२३-२४ में खाता संख्या ७३९ में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	<u>निष्वाले</u> <u>आवास</u>	<u>७३९</u>	<u>हिरासाल पि. जाना</u>	<u>हिरासाल पि. करेड़ा</u> <u>भाष</u>

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

दिनांक:- १६/०६/२०२३

क्रमांक:- न्यायालय / 2023/ ५३

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा



PP2023/53
2023/490